तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुऐ
06.08.2024	वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पूर्वज छोटे ने एक राजस्व वाद संख्या 22/2011 दिनांक 01.07.2011 को डिक्री किया गया था। दिनांक 01.07.2011 के बाद छोटे का निधन हो गया था। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2011 की जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने इजराय प्रार्थना पत्र संख्या 5/2019 न्यायालय में पेश की। इजराय प्रकरण में मूलवाद पत्रावली तलब उसका अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि दिनांक 24.08.2011 को प्रार्थीगण के पूर्वज छोटे के पक्ष में पारित एक पक्षीय निर्णय व डिक्री अपास्त कर दिया, एवं दावा पुनः नम्बर पर लिया जाकर गया प्रतिवादीगण को जबाब के लिए अवसर दिया गया। प्रार्थीगण को उक्त आदेश का कभी ज्ञान नहीं रहा, और ना ही उनके पूर्व अधिवक्ता ने इस बाबत् उन्हें जानकारी दी। प्रार्थीगण का मूल वाद संख्या 22/2011 को माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 15.12.2017 को अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया, जिसका ज्ञान भी प्रार्थीगण को नहीं था। इसलिए प्रार्थीगण ने जानबूझकर कोई लापरवाही नहीं की उनकी अज्ञानता के कारण मूलवाद अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज हो गया। अतः मूलवाद पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। बहस प्रार्थीगण का मनन किया। प्रार्थीगण के पूर्व पुरूष छोटे का निधन आदेश दिनांक 01.07.2011 के बाद मृत्यु होना बताया है। प्रथमदृष्टया प्रार्थीगण के पूर्व बाद में उपस्थित ना हो पाना सद्भावी त्रुटि प्रतीत होती है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। मूलवाद पुनः नम्बर पर लिया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे। [signature] सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज०)	